

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

1298

क्रमांक / /846/आउशि/शा-1/09

भोपाल, दिनांक 10.11.09.

प्रति,

अतिरिक्त सचिव,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा,
मध्य प्रदेश


विषय: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य में स्थापित मानव अधिकार आयोगों के नाम एवं
लोगों का दुरुपयोग रोकने बाबत ।

संदर्भ: सागान्य प्रशासन के पत्र क्रमांक एफ-5-35/2009माअप्र/1, दिनांक 23.10.09 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य में स्थापित मानव
अधिकार आयोगों एवं आयोगों के लोगो का कुछ असासकीय संस्थाए संगठन न्यास तथा कम्पनियों अनुचित लाभ
उठा रही है । इसे रोकने हेतु निर्देश दिये गये है जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है ।
कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

संलग्न:- पत्र


(आयुक्त, उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार)



विशेष कर्तव्यस्थय अधिकारी(ए)
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

1299

पू०क्रमांक / /846/आउशि/शा-1/09 भोपाल, दिनांक 10.11.09.
प्रतिलिपि:

समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


विशेष कर्तव्यस्थय अधिकारी(ए)
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रकरण
सी.एस.मानिट क्रमांक. 2978/09
दिनांक 05.10.09

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (माअप्र.)
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

पत्र क्रमांक 846 / भाषा-1/कारचि/200
दिनांक 27-10-09

क्रमांक एफ-5-35/2009/माअप्र/1 भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 09
प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
म0प्र0
3. समस्त संभागायुक्त,
म0प्र0
4. समस्त कलेक्टर,
म0प्र0
5. समस्त पुलिस अधीक्षक,
म0प्र0

विषय:-राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य में स्थापित मानव
अधिकार आयोगों के नाम एवं लोगो का दुरुपयोग रोकने बाबत।
संदर्भ:-राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अ0शा0 पत्र क्रमांक
15(38)/2008-कौर्ड, दिनांक 25-09-09.

महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा
संदर्भित अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन
के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ अशासकीय
संस्थाएं, संगठन, न्यास तथा कंपनियों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या
राज्य में स्थापित मानव अधिकार आयोग के लोगो या नाम के समरूप
लोगो अथवा नाम का पंजीयन कर अनुचित लाभ उठा रहे हैं जो
Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 की
धारा-4 का उल्लंघन है। इसलिए महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार
आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुरोध किया गया है कि पंजीयन प्राधिकारियों
के ध्यान में यह बात लाई जाए कि जो संस्थाएं, संगठन, समितियाँ, न्यास
अथवा कंपनियों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अथवा राज्य मानव
अधिकार आयोग के लोगो अथवा नाम के समरूप पंजीयन के लिये
आवेदन करते हैं, तो इस तथ्य को तत्काल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

C.S.D (24/10/09)

27 OCT 2009

R
श्रीमती शर्करा

27-10-09

या केन्द्र सरकार के मंत्रालय उपभोक्ता मामले एवं लोक वितरण, उपभोक्ता मामले विभाग के ध्यान में लाई जाए जिनके पते निम्नानुसार हैं:

- 1- Secretary General
National Human Rights Commission
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi-110001
- 2- Director (Internal Trade Division)
Department of Consumer Affairs
Room No.312-A, Shastri Bhavan
New Delhi
E-mail: dirit-ca @nic.in
Fax- 011 23385821
- 3- Assistant Economic Advisor
Department of Consumer Affairs
Room No. 307-A, Shastri Bhavan
New Delhi
E-mail: astteal-ca @nic.in
Fax- 011 23385821

(Handwritten signature and date: 11/11/09)

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध है।

(Handwritten signature)

(प्रभाकर बंसोड़)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग(मानव अधिकार)

पृ0 क्र0एफ-5-35/2009/माअप्र/1 भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 09
प्रतिलिपि:-

1. श्री अखिल कुमार जैन, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग नई दिल्ली-110001 की ओर उनके अ0शा0 पत्र क्रमांक 15(38)/2008-समन्वय, दिनांक 25.09.09 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार म0प्र0 मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।

(Handwritten signature)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग(मानव अधिकार)